लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 06/ 2024
GCMS NO. : 2024/32

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री सतीश चन्द्र आसोपिया निवासी गली नंबर 8, शिवाजी नगर, आदर्श नगर, अजमेर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 01–08–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **24–04–2024 (63एफ 784160)** पर **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** द्वारा नियामनुसार समयावधि में सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **04–07–2024** को जारी किया गया व अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक **19–07–2024** व **01.08.2024** को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने **क्रमांक 115 दिनांक 01–08–2024** से अवगत कराया कि पत्रांक **108 दिनांक** [illegible] से अपीलार्थी को बिन्दु सं. 1 के सन्दर्भ में सूचना उपलब्ध करवाई गई है। शेष बिन्दु सं. 2 से 5 [illegible] सूचना विशिष्टि विहित [illegible] होने से उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:43 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी को सूचना से अवगत कराये गये पत्रांक 108 दिनांक 22.07.2024 अनुसार बिन्दु सं. 1 द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखानुसार अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं. 2 से 5 तक चाही गई सूचना विस्तृत, संकलनीय, विशिष्टिविहीन, बहुआयामी एवं खोजबीन कर सृजित किये जाने वाली है, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना एवं उद्धेश्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी कार्यालय में उपलब्ध सूचना से सम्बन्धित अभिलेखो के अवलोकन हेतु एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होने हेतु पंजीकृत पत्र के माध्यम से आमंत्रित करे। अपीलार्थी के अवलोकनोपरांत उनके द्वारा चिन्हित करने पर नियमानुसार सूचना/ विनिश्चिय अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवाये। अतः अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक **01–08–2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:43 IST
Reason: SelfAttested